①

विलम्बित

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र0 क0 एक/विविध/छतरपुर/भूरा./2018

विविध - 2817/2018/छतरपुर/भू.रा

श्री रजनी मिश्रा शर्मा द्वारा आज दि. 7-5-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5/6/18 नियत। 5-6-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
7-5-18

R.V. 7/5/18

राकेश पुत्र स्व0 श्री बैजनाथ कायस्थ
निवासीगण छतरपुर तहसील व
जिला छतरपुर म0प्र0

—आवेदकगण

विरूद्व

1—मध्य प्रदेशशासन द्वारा
कलेक्टर महोदय छतरपुर

—— अनावेदक

2—कामता प्रसाद तनय बृजगोपाल ब्रा0
3—भक्तभूषण तनय बृजवल्लभ कायस्थ
निवासीगण छतरपुर
तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0

—अनोपचारिक पक्षकार

विविध आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत आवेदक के पक्ष में तहसीलदार तहसील व जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.1975 के परिप्रेक्ष्य में रिकार्ड/खसरा में पृविष्टि कराने की स्वीकृति वाबत।

माननीय महोदय,

आवेदक का निवेदन निम्न प्रकार हैः—

1— यह कि प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदक को ग्राम पलौठा स्थित खसरा नंबर 234, 237/1, 239, 244, 753, 712, 713 कुल किता 7

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध-2817/2018/छतरपुर/भू.रा. राकेश विरूद्ध म.प्र.शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-07-2018	1) प्रकरण प्रस्तुत । 2) आवेदक श्री राकेश के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ट शर्मा पूर्व में दिनांक 06-07-2018 को सुना गया । 3) आवेदक द्वारा तहसीलदार छतरपुर के आदेश दिनांक 20-04-1975 व अधीक्षक भू-अभिलेख (भू-प्रबंधन) छतरपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/अ-6अ/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 04-07-2006 के आधार पर भू-अभिलेख व कम्प्यूटर खसरा में प्रविष्टि कराये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन दिया है । 4) आवेदक के द्वारा तहसीलदार का आदेश आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है । अधीक्षक भू-अभिलेख के आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि उन्होनें दिनांक 04-07-2006 का आदेश किस अधिनियम व धारा के अंतर्गत किया है । अधीक्षक भू-अभिलेख के द्वारा पारित, आदेश जिसके द्वारा आवेदक को भूमि-स्वामी अधिकार प्रदाय करने की बात की है, वह आदेश प्रथम दृष्ट्या अधिकारिता से बाहर जाकर पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिस पर इस न्यायालय से कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है । 5) आवेदक के आवेदन पर कलेक्टर को निर्देश दिये जाते है कि वह प्रकरण की जांच कर विधि अनुसार 3 माह में निर्णय करें । आदेश की एक प्रति कलेक्टर छतरपुर को भेजी जाये । सदस्य 19.7.18	